न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी प्रतिष्ठा पिलानिया आर ए एस

राजस्व अपील / 225 / रा.का.अधि. / 43 / 2020 / बाड़मेर

अपीलांट	रेस्पोडेंटगण
1. भैराराम पुत्र पोकरराम 2. बगताराम पुत्र पोकरराम जातियान माली निवासीयान सरका पार बान्दरा तहसील व जिला बाड़मेर	1. देराज पुत्र कुम्भाराम 2. ठाकराराम पुत्र कुम्भाराम 3. तिलाराम पुत्र खुमाराम 4. ओमाराम पुत्र किस्तुराराम 5. किशना पुत्र उदाराम 6. जेठाराम पुत्र रेवताराम जातियान माली निवासीयान सर का पार बान्दरा तहसील व जिला बाड़मेर 7. राजस्थान राज्य जरिऐ तहसीलदार बाड़मेर 8. मिसरा पुत्र भंवरा 9. तकतो पत्नी भंवराराम जातियान माली निवासीयान सर का पार बान्दरा तहसील व जिला बाड़मेर

अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्व सहायक कलक्टर बाड़मेर द्वारा राजस्व आवेदन संख्या 85 / 2020 बअनवान भैराराम बनाम देराजराम आदेश दिनांक 28.09.2020 के विरूद्ध पेश हुई।

उपस्थिति

1. वकील श्री पवन सिंहल अपीलान्ट की ओर से।
2. ब्रीफ हॉल्डर वकील श्री कैलाश एन. सहारण रेस्पोडेंटस की ओर से।

निर्णय

दिनांकः— 12.06.2023

अपीलकर्तागण की पैतृक व पुश्तैनी भूमि मौजा सरका पार बान्दरा की खातेदारी भूमि खसरा संख्या 761 रकबा 5.19 बीघा भूमि अवस्थित है, जिसमें अपीलांटगण की रहवासी ढाणीयां, पानी के टांके, मवेशियों के बाड़े व चारबाड़े आदि बने हुऐ है। तहसीलदार बाड़मेर द्वारा विधि से परे जाकर अपीलांटगण की खातेदारी के मध्य से रास्ता निकाला जा रहा है जो विधि सम्मत नहीं है। अपीलाकर्तागण ने एक राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 188, 209 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का पेश किया तथा उसके साथ 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का प्रस्तुत किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांटस को सुनवाई का समुचित अवसर नहीं दिया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का पालन किये बिना पारित किया गया, जिसके विरूद्ध हस्तगत अपील पेश की गई।

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

पत्रावली दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेंट को जरिये सम्मन तलब किया गया एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई। दोनों विद्वान अधिवक्ताओं की पत्रावली पर बहस सुनी गई।

अपील में अंकित तथ्यों को दौहराते हुए अपीलांटगण के अधिवक्ता ने बहस निवेदन किया कि मौजा सरका पार वान्दरा की खातेदारी भूमि खसरा संख्या 761 रकबा 5.19 बीघा भूमि अवस्थित है, जिसमें अपीलांटगण की रहवासी ढाणीयां, पानी के टांके, मवेशियों के बाड़े व चारबाड़े आदि वने हुऐ है। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष मूल पत्रावली में अपीलांट के द्वारा प्रस्तुत आवेदन एवं संलग्न पेश दस्तावेजात के आधार पर प्रथम दृष्टया मामला एवं सुविधा का संतुलन अपीलांटगण के पक्ष में है। मूल वाद अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष विचाराधीन है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश दस्तावेजात पर गौर किये विना पारित किया गया। अपीलांट को रेस्पोडेंटगण अपीलाधीन आराजी से जबरन बेदखल कर मौके पर खेत के मध्य से रास्ता निकालने पर प्रयासरत है तथा अपीलांट को अपने हिस्से की भूमि पर कब्जा काश्त में दखलंदाजी कर रहे है तथा रेस्पोडेंटगण द्वारा अपीलांट के कब्जे काश्त में हस्तक्षेप किया जा रहा है है जिसें अपीलांट को भारी अपूरणीय क्षति होगी जिसकी क्षतिपूर्ति भविष्य में किया जान संभव नहीं है। अतः अपीलांटगण की अपील स्वीकार फरमाई जावे।

वकील रेस्पोडेंट ने बहस करते हुए बताया कि उतरदातागण की अनुपस्थिति में रिकॉर्डेड खातेदार के विरूद्ध इंजेक्शन जारी किया गया जो कतई न्यायोचित नहीं है। अपीलाधीन आराजी पर कदमी रास्ता चल रहा है जिसे रोकने की नियत से हस्तगत आवेदन मय वाद पेश किया गया है। मौके पर तहसीलदार बाड़मेर एवं उपखण्ड अधिकारी ने रास्ता खुलवाया गया लेकिन रास्ता पुनः बंद कर दिया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश पारित करते वक्त विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का पूर्णत पालन किया गया। अधीनस्थ न्यायायल द्वारा अपीलांटगण को सुनवाई का समुचित अवसर दिया गया। हाजा न्यायालय द्वारा पारित स्थगन की आड़ में रास्ता अवरूद्ध किया जाता है तो रेस्पोडेंटस को अपूर्णीय क्षति कारित होगी। मामला प्रथम दृष्टया एवं सुविधा का संतुलन भी रेस्पोडेंटस के पक्ष में है। अपीलाधीन आदेश में किसी प्रकार की कोई विधिक त्रुटि नहीं है। अतः अपीलांट की अपील खारिज फरमाई जावे।

पत्रावली का अवलोकन व विद्वान उभयपक्ष के अधिवक्ताओं की बहस पर मनन करने के पश्चात यह तथ्य प्रकट हुआ कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांटगण को सुनवाई का समुचित अवसर दिया गया। अपीलाधीन आराजी में

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

अपीलांटगण का हक हिस्से का निर्धारण मूल दावे में साक्ष्य सबूतों से तय होना हैं। माननीय राजस्व मण्डल एवं माननीय उच्च न्यायालयों द्वारा अपने कई निर्णयों में अवधारित किया है कि रिकॉर्डेड खातेदार के विरूद्ध स्थगन आदेश पारित किया जाना न्यायोचित नहीं है। हस्तगत अपील अधीनस्थ न्यायालय द्वारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के प्रार्थना–पत्र में पारित अंतरिम आदेश के विरूद्ध पेश की गई। अंतरिम आदेश के विरूद्ध पेश अपील पोषणीय नहीं है। रिकॉर्डेड खातेदार के विरूद्ध स्थगन आदेश पारित किया जाता है तो रेस्पोडेंटस को अपूर्णीय क्षति कारित होगी। प्रथम दृष्टया मामला एवं सुविधा का संतुलन रेस्पोडेंटस के पक्ष में प्रतीत होता है। उपरोक्त विवेचन एवं तथ्यों के आलोक में अपीलांटगण की अपील खारिज करने योग्य ठहरती है।

लिहाजा अपील अपीलांट खारिज की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर बाड़मेर द्वारा राजस्व आवेदन संख्या 85/2020 बअनवान भैराराम बनाम देराजराम आदेश दिनांक 28.09.2020 को यथावत रखा जाता है।

(प्रतिष्ठा पिलानिया)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

यह निर्णय आज दिनांक 12.06.2023 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर